

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सुश्री अनिशा कुमारी, संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बंदोबस्त कार्यालय, गया जी द्वारा दायर
अपील वाद संख्या 04/2026 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा की गयी सुनवाई एवं पारित आदेश।

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06.08.2026	दायर अपील वाद संख्या 04/2026 में सुश्री अनिशा कुमारी एवं निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में सुनवाई प्रारंभ की गयी। सर्वप्रथम वादी के संविदा समाप्ति आदेश संख्या 1574 दिनांक 12.05.2026 का अवलोकन किया गया। आदेश में वर्णित है कि बंदोबस्त पदाधिकारी, गया जी के पत्रांक 601 दिनांक 25.10.2024 द्वारा सुश्री अनिशा के विरुद्ध दिनांक 29.08.2024 से 12.09.2024 तक एवं पुनः दिनांक 28.09.2024 से लगातार अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन देते हुए संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी थी, जिसके आलोक में इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर निदेशालय पत्रांक 476 दिनांक 28.01.2025 द्वारा दिया गया। इनके द्वारा समर्पित प्रतिउत्तर में अपनी अनुपस्थिति के संबंध में स्वयं एवं पिता जी की तबियत खराब रहने का तथ्य दिया गया, परन्तु कोई भी चिकित्सीय साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया। साथ ही आदेश में वर्णित है कि प्रतिउत्तर पर पुनः बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य सहित स्पष्ट अनुशंसा की मांग की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 311 दिनांक 06.04.2026 द्वारा मंतव्य दिया गया की ये अपने कार्यक्षेत्र से बिना सूचना के अनुपस्थित हैं एवं रैयतो से प्राप्त प्रपत्र-02 एवं प्रपत्र-3(1) बिना अपलोड किये किसी अन्य व्यक्ति से कार्यालय में वापस किया गया है तथा योगदान के नाम पर बार-बार बहाने बनाती हैं। पुनः संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है। सारे अभिलेखों के समीक्षोपरांत इनका संविदा समाप्त किया गया है। उपरोक्त के संबंध में वादी का पक्ष सुना गया। वादी द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.09.2024 के पूर्व से ही इनकी तबियत खराब होने लगी थी, जिसकी सूचना इनके द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी को दी गयी थी। साथ ही यह भी बताया गया कि ईलाज के दौरान इनकी संड़क दुर्घटना हो गयी थी, जिसमें इनके सिर पर चोट लग जाने के कारण मानसिक स्थिति खराब हो गयी थी, परन्तु अब यह स्वस्थ हैं एवं कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु तैयार हैं।	

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। चिकित्सीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि वादी का कथन है कि इन्हें सर में चोट लग गयी थी, जिसके कारण इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गयी थी, परन्तु समर्पित चिकित्सीय साक्ष्य में इनके द्वारा सीटी स्कैन एवं एम0आर0आई0 आदि से संबंधित किसी भी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही चिकित्सक के prescription में इस तरह का कोई उल्लेख है, जो इनके अनाधिकृत अनुपस्थित रहने संबंधी कथन का समर्थन करता हो।

अतः प्रस्तुत अभिलेखों के विवेचनोपरांत वादी का अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/-

(जय सिंह)

सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि(7)अपील-04/2026

पटना, दिनांक :- 21/08/26

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

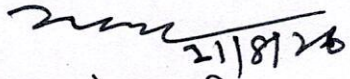
सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि(7)अपील-04/2026

2877

पटना, दिनांक :- 21/08/26

प्रतिलिपि :- सुश्री अनिशा कुमारी, संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN13790) को सूचनार्थ प्रेषित।

 21/08/26

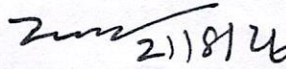
सरकार के उप सचिव
भू-अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि(7)अपील-04/2026

2877

पटना, दिनांक :- 21/08/26

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 21/08/26

सरकार के उप सचिव
भू-अभिलेख एवं परिमाप